

## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

- तैयारी की तारीख: \_\_\_\_\_  
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: \_\_\_\_\_  
डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: \_\_\_\_\_
- ग्राम का नाम: गौहरपुर मुल्तानपुर  
ग्राम पंचायत का नाम: गौहरपुर मुल्तानपुर  
ब्लॉक का नाम: भुरावावा  
जिला का नाम: भुरावावा  
राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश  
ग्राम जनगणना कोड: \_\_\_\_\_

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

### I. ग्राम पंचायत संकल्प

- ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मवेशी कुंडों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात ..... घंटे निर्धारित गुणवत्ता वाले ..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष ..... तक ..... ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों को सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का \_\_\_\_\_%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगमित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

- पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

### II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

- कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): \_\_\_\_\_

समिति को क्या कहा जाता है: ग्राम पंचायत समिति

अध्यक्ष का नाम: किरण

लिंग: \_\_\_\_\_

आयु: 39

| सदस्य का नाम        | लिंग | आयु |
|---------------------|------|-----|
| 1- किरण अध्यक्ष     | ♂    | 39  |
| 2- निलेश सचिव       | ♂    | 40  |
| 3- मिमि जाहदवी सचिव | ♂    | 30  |
| 4- रिश्वत झाहर      | ♂    | 36  |
| 5- आशिषा            | ♀    | 32  |
| 6- आयमी             | ♀    | 36  |
| 7- कस्तुरी          | ♀    | 32  |
| 8- शशि              | ♀    | 30  |



०९. ग्रीष्म ऋतु

५०

३५

१०. - १५१५

१

३७

अनुसूचित जाति

११. सुग्रीव

१

३८

6.

2011 की जनगणना के अनुसार :

जनसंख्या: 1500  
परिवारों की संख्या: 360  
महिलाओं की संख्या: 240  
पुरुषों की संख्या: 130  
बच्चों की संख्या: 130  
एफ.एच.टी.सी. की संख्या:

वर्तमान पंचायत/ आंगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार:

वर्तमान जनसंख्या: 2000  
परिवारों की संख्या: 460  
महिलाओं की संख्या: 340  
पुरुषों की संख्या: 230  
बच्चों की संख्या:  
एफ.एच.टी.सी. की संख्या:

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण  
- वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड):

9. कृषि फसल पैटर्न: ज्वार खरीय

| प्रमुख फसलें | हरी                                 | रबी                                 |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| गन्ना        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| धान          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| मक्का        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| कपास         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| गेहूँ        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| अन्य         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में):

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल


IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

| क्र. सं. | सार्वजनिक संस्था का नाम | क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) | क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) | तोड़ता गड़कों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं) |
|----------|-------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 1.       | स्कूल                   | हाँ                                     | हाँ  | हाँ                                   |
| 2.       | आंगनवाड़ी               | हाँ                                     | हाँ  | हाँ                                   |
| 3.       | स्वास्थ्य केन्द्र       | हाँ                                     | हाँ  | हाँ                                   |
| 4.       | ग्राम पंचायत भवन        | हाँ                                     | हाँ  | हाँ                                   |
| 5.       | अन्य                    | हाँ                                     | हाँ  | हाँ                                   |





### पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या<sup>n</sup> X दर: 52 के.एल.डी.  
 मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 86 के.एल.डी.  
 मवेशों कुंड़ों की आवश्यक संख्या: \_\_\_\_\_  
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या<sup>n</sup> X दर: 42 के.एल.डी.  
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या<sup>m</sup> X दर: 36 के.एल.डी.

### पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त. सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न. पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:  
 17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।  
 18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त  
 19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त:

### पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: \_\_\_\_\_  
 21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_  
 22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

| मापदंड                 | तरीका              | परिणाम |
|------------------------|--------------------|--------|
| गंदगी                  | दृश्य तुलना        |        |
| पीएच                   | पट्टी रंग तुलना    |        |
| पूर्ण लवणता            | टिट्रीमेट्रिक विधि |        |
| पूर्ण क्षारीयता        | टिट्रीमेट्रिक विधि |        |
| क्लोराइड               | टिट्रीमेट्रिक विधि |        |
| अमोनिया                | दृश्य रंग तुलना    |        |
| फास्फेट                | दृश्य रंग तुलना    |        |
| अवशिष्ट क्लोरीन        | दृश्य रंग तुलना    |        |
| आयरन                   | दृश्य रंग तुलना    |        |
| नाइट्रेट               | दृश्य रंग तुलना    |        |
| फ्लोराइड               | दृश्य रंग तुलना    |        |
| आर्सनिक (हॉटस्पॉट में) | दृश्य रंग तुलना    |        |

### कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

| अवस्थिति का नाम | घरों की संख्या | आबादी |
|-----------------|----------------|-------|
|                 |                |       |

**स्रोत स्थायित्व**

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)
25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

**गंदले जल का प्रबंधन**

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 5 के.एल.डी.  
 अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 7  
 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: \_\_\_\_\_  
 आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 6  
 क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): नहीं  
 यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: \_\_\_\_\_  
 यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

**V. जल आपूर्ति योजना**


27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:
- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
  - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
  - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
  - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
  - वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
  - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं
28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: \_\_\_\_\_ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: हर घर नल से जल  
 इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: \_\_\_\_\_  
 वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_  
 योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: \_\_\_\_\_ राज्य का हिस्सा: \_\_\_\_\_  
 समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: \_\_\_\_\_  
 वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क: 30-50 कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

**VI. मेल-जोल**

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

| 29. योजना का नाम                          | केंद्र/राज्य सरकार का विभाग                | संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं                                       | प्रस्तावित निधि |
|---|--|---|-----------------|
| चंद्रिका कित्त आयोग                       | ग्राम पंचायत                               | रो-वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।  |                 |
| स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी) | पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय | रो-वाटर मैनेजमेंट -सोखता गड्ढे (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि। |                 |
| एम.जी.एन.आर.डी.जी.एस.                     | ग्रामीण विकास मंत्रालय                     | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ       |                 |





| योजना का नाम   | केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग                            | समाहित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं  | प्रस्तावित निधि |
|--|---|---|-----------------|
| एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)                   | भूमि संसाधन विभाग                                       | वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्गठन, जल निकासी का निर्माण/ वृद्धि आदि।                               |                 |
| जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार                          | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग              | बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार  |                 |
| राष्ट्रीय कृषि विप्लव योजना (आर.के.वी.वाई.)                            | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण                          | वाटरशेड से संबंधित कार्य  |                 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)                      | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय                 | जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एकवीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए |                 |
| क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण                      | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय                | वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास, आदि।  |                 |
| प्रधानमंत्री कौशल विप्लव योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)                      | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय                         | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि                             |                 |
| समग्र शिक्षा   | मानव संसाधन विकास मंत्रालय                              | स्कूलों में भेद्यजल आपूर्ति का प्रावधान   |                 |
| आकांक्षी जिला नवसंरचना   | नीति आयोग   | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकपूर्ण निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ                                      |                 |
| जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.एफ.)                                       | राज्य   | बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ  |                 |
| एम.पी.एल.ए.डी.   | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) | अंतःग्राम अवसंरचना  |                 |
| एम.एल.ए.एल.ए.डी.   | राज्य   | अंतःग्राम अवसंरचना  |                 |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एम.एम.) | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य                     | अंतःग्राम अवसंरचना  |                 |
| दानदाता/प्रायोजक   |   |   |                 |



अध्यक्ष का हस्ताक्षर: किरण

पी.एच.ई.डी/ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): \_\_\_\_\_ किरण

**संपर्क विवरण**

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. सुशरा जी. साजीव
2. श्यामली जी. इकाबुद्दीन
3. उमाशिवान जी. जहागीर
4. रिहमा खातून जी. मोहिन -
5. राजक जी. हासीन

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर: राजेश जी. उमलेरा

